



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229746
CG-DL-E-17092021-229746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]
No. 525]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 639(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह 'ख' पद), पद भर्ती नियम, 2020 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (समूह 'ख' पद) संशोधन भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रव्रत होंगे।

2. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है मे नियम 1 के, उप-नियम (1) में, "2020" अंक के स्थान पर "2021" अंक को रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों के, अनुसूची में, "(2020)" कोष्ठक और अंक के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "(2021)" कोष्ठक और अंक रखा जाएगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ), तारीख 18 फरवरी, 2021 प्रकशित किया गया था।

[फा. सं. 2(6)/2018-पीए (टीए)]

अरविंद कुमार, महानिदेशक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(STANDARDISATION TESTING AND QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2021

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2020, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group ‘B’ Posts) Amendment Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the figures “2020”, the figures “2021” shall be substituted.

3. In the said rules, in the Schedule, for the brackets and figures “(2020)”, wherever they occur, the brackets and figures “(2021)” shall be substituted.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 129(E), dated the 18th February, 2021.

[F. No. 2(6)/2018-PA (TA)]

ARVIND KUMAR, Director General